गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ गाजियाबाद

"सार्वजनिक सूचना"

मै० श्याम बिल्डवेल प्रा०लि० द्वारा खसरा सं0–972 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर मानचित्र सं0–248 / जी०एम०पी० / जी०एच० / 11–12 स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये गये निर्माण को शमन / मानचित्र स्वीकृत कराये जाने हेतु खसरा सं0–986 ग्राम नूरनगर की 2486.66 वर्ग मी० भूमि सम्मिलित करते हुए शमन आवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 253 यूनिट के विपरीत 366 यूनिट एवं स्वीकृत 8 मंजिल के स्थान पर 10 मंजिल अर्थात दो अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण किया गया है। स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध विचलन कर अतिरिक्त यूनिट एवं अतिरिक्त तल के निर्माण का शमन वर्तमान में प्रचलित शमन उपविधि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त निर्माण को शमन / मानचित्र स्वीकृत किये जाने में किसी भी हित धारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद कार्यालय को आपत्ति दर्ज करा सकते है। नियत अवधि के उपरान्त यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि मै० श्याम बिल्डवेल प्रा०लि० द्वारा विकसित परियोजना (बाँके बिहारी शरणम) में स्वीकृति से अतिरिक्त किये गये निर्माण को शमन / मानचित्र स्वीकृत किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नही है।

अपर सचिव /
प्रभारी प्रवर्तन जोन–1

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, : @ Gda Ghaziabad : @ gdagzb
हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएपः 9990988004 वेबसाईटः www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प